बेमौसम बारिश की मार, गेहूं पर संकट

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-3
(कृषि)

मार्च के दूसरे पखवाड़े में देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश और यहाँ तक कि ओलावृष्टि ने रबी की फसल, खासकर गेहूं की फसल को लेकर चिंता बढ़ा दी है। लगभग 34 मिलियन हेक्टेयर में उगाया जाने वाला गेहूं चावल के बाद दूसरा सबसे बड़ा अनाज है। भारत सरकार (जीओआई) अभी भी रबी फसलों को नुकसान की सीमा का पता लगा रही है। यह वह समय था जब गेहूं परिपक्व अवस्था में था, और देश को 112 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की बंपर फसल की उम्मीद थी। हालांकि इस लक्ष्य को अब पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

बेमौसम बारिश से नुकसान एवं मुद्दा

1. पहला मुख्य मुद्दा गेहूं और अन्य फसलों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में नुकसान की सीमा को जानना है।
2. दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों के लिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए कौन सी नीतिगत कार्रवाई की जा सकती है।

भारत के गेहूं उत्पादक राज्य

ऐसा लगता है कि पंजाब अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक प्रभावित हुआ है। पंजाब कृषि विभाग गेहूं के लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र पर 10-15 प्रतिशत की उपज हानि देख रहा है, जो बारिश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। हालांकि, पंजाब सरकार (जीओपी) वर्तमान में गिरदावरी (क्षेत्र निरीक्षण) और पटवारी प्रणाली द्वारा नुकसान का आकलन कर रही है, और एक अंतिम तस्वीर सामने आना बाकी है।

लेकिन भारत एक बड़ा देश है, और बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश में गेहूं (35 एमएमटी) का उत्पादन होता है, जो पंजाब (17 एमएमटी) के दोगुने से भी अधिक है। मध्य प्रदेश भी लगभग 18 एमएमटी गेहूं का उत्पादन करता है, और हरियाणा और राजस्थान क्रमशः लगभग 12 और 11 (एमएमटी) और बिहार लगभग 6 एमएमटी। गेहूं की खेती की व्यापक प्रकृति को देखते हुए संभावना है कि भारत में समग्र गेहूं उत्पादन नाटकीय रूप से प्रभावित नहीं होगा, भले ही अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में नुकसान थोड़ा अधिक हो। हालांकि, गुणवत्ता में कमी (मुरझाया हुआ दाना, चमक में कमी, मलिनकिरण, आदि), मात्रा में कमी से अधिक होने की संभावना है।

किसानों को क्षतिपूर्ति एवं पीएम-फसल बीमा योजना

किसानों को उनके नुकसान (फसल की मात्रा और गुणवत्ता) के लिए कोई कैसे क्षतिपूर्ति करता है? इस प्रकार के मौसम संबंधी नुकसान के लिए सबसे अच्छा नीति साधन, चाहे वह बेमौसम बारिश हो, ओलावृष्टि हो या गर्मी की लहरें हों, पीएम-फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) है। यह एक बड़ी पहल थी जिसे मोदी सरकार ने 2014-15 और 2015-16 के लगातार दो सूखे के बाद शुरू किया था।

इस योजना के तहत, किसान रबी फसलों के लिए बीमा राशि का केवल 1.5 प्रतिशत प्रीमियम वहन करते हैं, जबकि शेष प्रीमियम कुल प्रीमियम पर सब्सिडी के रूप में केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। पिछले छह वर्षों में, किसानों ने लगभग 25,186 करोड़ रुपये के प्रीमियम का भुगतान किया, लेकिन 1,25,662 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त किए (31 अक्टूबर, 2022 तक)। किसानों के लिए इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता।

फिर भी, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड और पश्चिम बंगाल ने "वित्तीय बाधाओं" का हवाला देते हुए अपने आप को इस योजना से बाहर कर दिया। पंजाब ने लगातार विरोध किया और इस योजना को कभी लागू नहीं किया। अब उनके लिए सोचने और इस पीएम-एफबीवाई में शामिल होने का समय आ गया है। अन्यथा, किसानों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें अपने बजट से पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्यों को यह याद रखने की आवश्यकता है कि बिगड़ती जलवायु परिवर्तन की सूरत में ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने की संभावना है।

पीएम-एफबीवाई को अपग्रेड करने की आवश्यकता

इसमें कोई संदेह नहीं है कि नुकसान का आकलन करने के लिए पीएम-एफबीवाई को आधुनिक तकनीकों के उपयोग के साथ स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। पूरे देश में फैले सभी मौसम स्टेशनों के साथ ड्रोन और लियोस (निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रह) जाने का रास्ता है। पटवारी प्रणाली फूलप्रूफ नहीं है और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। यह पुनर्बीमाकर्ताओं को विश्वास नहीं देता है, जो इस खेल में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और इसलिए, प्रीमियम अधिक रहता है।

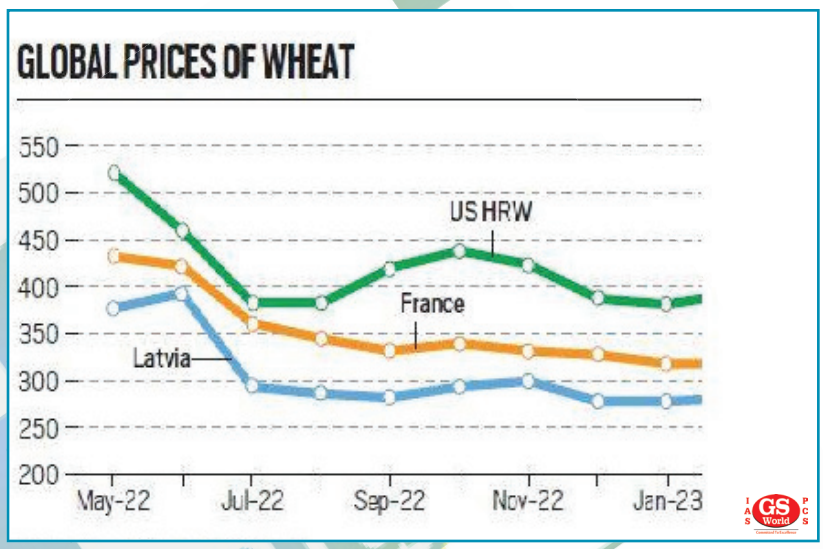

खाद्य सुरक्षा तथा एफसीआई

खाद्य सुरक्षा के लिए, भारतीय खाद्य निगम (FCI) 34 एमएमटी के अपने लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से अपने खरीद कार्यों के लिए गुणवत्ता विनिर्देशों में ढील दे सकता है। भारत सरकार एफसीआई को इसे बेचने के लिए किसानों को 100 रुपये से 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देकर भी मदद कर सकती है। इससे एफसीआई के पास पर्याप्त बफर सुनिश्चित होगा। यदि फिर भी यह पाया जाता है कि मात्रा का नुकसान अपेक्षा से अधिक है और खरीद लक्ष्य से बहुत कम है, तो यह आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर सकता है और गेहूं के आयात की अनुमति दे सकता है।

पिछले साल भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद 5 एमएमटी से अधिक गेहूं और गेहूं के आटे का निर्यात किया। सौभाग्य से, पिछले एक साल में वैश्विक कीमतों में तेजी से गिरावट आई है (ग्राफ देखें), जो भारत सरकार को अपना बफर बनाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। मार्च 2023 में गेहूं की कीमत$ 260 (लातविया) और $274 (ईयू फ्रांस ग्रेड 1) प्रति टन के आसपास रही है। दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार के केन्द्रीय पूल के पास चावल का स्टॉक 1 अप्रैल को बफर स्टॉक की आवश्यकता से तीन गुना से अधिक है। इस प्रकार एफसीआई के पास है अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (प्रधानमंत्री-गरीब कल्याण अन्न योजना) में जहां भी संभव हो, गेहूं के स्थान पर चावल की जगह लेने का लचीलापन, या यहाँ तक कि एक कदम आगे बढ़कर सीधे नकद हस्तांतरण का विकल्प देना।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि हम सही नीतिगत उपकरणों का उपयोग करते हैं, और समय रहते, किसानों के हितों के साथ-साथ अपने लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय हित को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। एक बार ये

कदम उठाए जाने के बाद, आरबीआई भी राहत की सांस ले सकता है क्योंकि गेहूं की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति, जो फरवरी में 25 प्रतिशत पर मंडरा रही थी, अप्रैल में 10 प्रतिशत से कम हो सकती है। पहले ही, एफसीआई द्वारा फरवरी-मार्च में खुले बाजार में 3 मिलियन टन से अधिक गेहूं की अनलोडिंग ने नाटकीय रूप से गेहूं की थोक कीमतों को 2,700-2,800 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बहुत करीब ला दिया है। वास्तव में, रिपोर्टों से पता चलता है कि कई राज्यों में बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चले गए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अप्रैल-मई, 2023 तक गेहूं की खुदरा मुद्रास्फीति भी 10 प्रतिशत से नीचे आ सकती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा योजना के तहत खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें को कवर किया जाता है। फसल बीमा योजना को पूर्ववर्ती दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के स्थान पर लाया गया है।
- इस योजना की शुरुआत 13 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी। जिसका प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में यह प्रीमियम केवल 5% होगा। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बीमा को एग्रीकल्चर इंडिया इन्शुरन्स कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए आवंटित राशि 13625 करोड़ रूपये है।

योजना के उद्देश्य

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंसी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, ब्रिकी, भंडारण, संचालन, सप्लाई, वितरण करना है। इसका मुख्य मकसद सुनिश्चित कराना है कि एक तरफ किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके है और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को भारत सरकार द्वारा तयशुदा कीमतों पर केन्द्रीय मूल्यों पर खाद्यान्न मिल सके।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में यह प्रीमियम केवल 5% है।
2. बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटित राशि 13625 करोड़ रूपये है।
3. भारतीय खाद्य निगम का प्राथमिक कार्य अनाजों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, ब्रिकी, भंडारण, संचालन, सप्लाई एवं वितरण करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

Que. Consider the following statements–

1. Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, a uniform premium of only 2% for all Kharif crops and 1.5% for all Rabi crops is paid by the farmers. This premium is only 5% in case of annual commercial and horticultural crops.
2. The amount allocated for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in the budget 2023-24 is Rs 13625 crore.
3. The primary function of the Food Corporation of India is to purchase, sell, store, operate, supply, distribute food grains and other food items.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Only 3 (d) 1, 2 and 3

उत्तर : D

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : बेमौसम बारिश ने भारतीय किसानों के विशेषकर गेहूं के फसल को काफी क्षति पहुँचाई है उचित नीतिगत उपकरणों का उपयोग कर और समय रहते, किसानों के हितों के साथ-साथ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय हित को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से गेहूँ के फसल के क्षति का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- ❖ किस तरह नीतिगत उपकरणों का उपयोग कर नुकसान से बचाया एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सकता है।
- ❖ संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।